प्रेस-नोट

थाना रक्सा

दिनाँक- 17.08.2024

01 तमंचा एवं 09 कारतूस के साथ अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को थाना रक्सा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया.

थाना रक्सा पुलिस द्वारा ग्राम रामगढ के ग्रामीणों की मदद से अभियुक्त भोला कुशवाहा पुत्र हरगोविन्द कुशवाहा नि0 रिछरा फाटक वाहर थाना कोतवाली दितया जनपद दितया उम्र करीव 28 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना रक्सा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 16/17.08.2024 की रात्रि में ग्राम रामगढ के निवासी कॉलर द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी कि घर में चोर है। प्राप्त सूचना पर डायल 112 ग्राम रामगढ पहुँची जहाँ गांव वालो की मदद से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रक्सा जनपद झाँसी पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. भोला कुशवाहा पुत्र हरगोविन्द कुशवाहा नि0 रिछरा फाटक वाहर थाना कोतवाली दितया जनपद दितया उम्र करीव 28 वर्ष

अभियुक्त से बरामद

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार का स्थान व समयः ग्राम रामगढ थाना रक्सा जनपद झांसी, दिनांक 16.08.2024 गिरफ्तार अभि0 का आपराधिक इतिहास -

- 1. मु०अ०स० २४३/१४ धारा २९४,३३६,३४,५०६ भादवि थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
- 2. मु०अ०स० 172/16 धारा ३/२५ आर्मस एक्ट थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
- 3. मु०अ०स० ३३९/१६ धारा ३०७/३४ भादवि थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
- 4. मु0अ0स0 277/23 धारा 307/392/412 भादवि व 25/27 आर्मस एक्ट व 11,13 MPDK ACT थाना कोतवाली दितया म0प्र0
- 5. मु०अ०स० ४३/१४ धारा ३२७/३३६/३४/५०६ भादवि थाना सोनागिर जिला दतिया म०प्र०
- 6. मु0अ0स0 07/2017 धारा 307/41/411 भादवि व 25/3 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली जिला झाँसी
- 7. मु0अ0स0 185/2017 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जिला झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीमः

- 1. उ0नि0 श्री आशाराम गोयल थाना रक्सा जनपद झाँसी
- 2. का० 1838 शशिकान्त पटेल थाना रक्सा जनपद झाँसी
- 3. चालक का0 रणजीत सिह थाना रक्सा जनपद झाँसी।